रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]	**नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2017/श्रावण 10, 1939**
No. 192]	**NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2017/SRAVANA 10, 1939**

वस्त्र मंत्रालय

गारमेंट और मेडअप्स निर्यात योजना के अंतर्गत राज्य लेवियों की छूट की संक्रमणकालीन दरों के लिए अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

फा. सं. 12020/3/2016-आईटी (भाग).—रोजगारपरक टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सुधार के उपाय शुरू करने और अपैरल पर राज्य लेवियों की छूट के लिए एक नई योजना का अनुमोदन करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय ने छूट की व्यवस्था के माध्यम से गारमेंट के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट प्रदान करने के लिए योजना अधिसूचित की है। इस योजना में तत्पश्चात मेडअप्स क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था। **गारमेंट और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट संबंधी योजना के अंतर्गत दो योजनाओं का विलय किया जा रहा है (इसके बाद इसे आरओएसएल योजना कहा गया है।**

2. संक्रमणकालीन उपाय के रूप में, निर्यातक 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2017 तक की अवधि के लिए परिधानों के लिए दिनांक 13.08.2016 की समसंख्यक अधिसूचना के साथ पठित दिनांक 4.11.2016 की वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं.12020/3/2016-आईटी और मेडअप्स के लिए दिनांक 15.03.2017 की अधिसूचना सं.12015/47/2016-आईटी द्वारा अधिसूचित दरों पर आरओएसएल दावा कर सकते हैं *बशर्ते उसे इस आश्य का वचनपत्र देना होगा कि उसने इन राज्य विशिष्ट लेवियों के क्रेडिट/छूट/वापसी/प्रतिपूर्ति तथा राज्य वस्तु और सेवाकर और किसी अन्य व्यवस्था के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर का दावा नहीं किया है अथवा दावा नहीं करेगा।*

3. यदि 1 अक्तूबर, 2017 से पहले आरओएसएल की अंतिम दरें निर्धारित नहीं की जाती हैं तो दिनांक 27.06.2017 की अधिसूचना सं.14/26/2016-आईटी उस तिथि से लागू हो जाएगी।

सुब्रत गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION FOR TRANSITIONAL RATES OF REBATE OF STATE LEVIES UNDER EXPORT OF GARMENTS AND MADEUPS SCHEME

New Delhi, the 31st July, 2017

F. No. 12020/3/2016-IT (Pt.).—In pursuance of the decision of the Government of India to initiate measures for reforms to boost employment generation in the employment intensive textiles and apparel sector, and approval of a new scheme for Remission of State Levies on apparels, the Ministry of Textiles has notified the scheme to provide for the remission of State Levies on export of garments through the mechanism of rebate. This scheme was subsequently extended to made-ups. The two schemes are being merged under the Scheme for Rebate of State Levies on Export of Garments and Made-ups (hereinafter referred to as the ROSL Scheme).

2. As a transition measure, the exporter may claim ROSL at the rates notified vide Ministry of Textiles Notification No.12020/3/2016-IT, dated 4.11.2016 read with Notification of even number dated 13.08.2016 for garments and Notification No.12015/47/2016-IT, dated 15.03.2017 for made-ups for the period 1st July, 2017 to 30th September, 2017 *provided he shall have to give an undertaking that he has not claimed or shall not claim credit/rebate/refund/reimbursement of these specific State Levies and State Goods and Services Tax and/or Integrated Goods and Services Tax under any other mechanism;*

3. The Notification No. 14/26/2016-IT, dated 27.6.2017 shall come into effect from 1st October, 2017, if no final rates for RoSL is determined prior to that date.

SUBRATA GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.